रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

Note No. #31

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 344] नई दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 31, 2016/कार्तिक 9, 1938
No. 344] NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 31, 2016/KARTIKA 9, 1938

संचार मंत्रालय

(दूरसंचार विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 अक्तूबर, 2016

विषय: घरेलू दूरसंचार विनिर्माता निर्यातकों के लिए ब्याज समकरण दिशा-निर्देश।

सं. 18-34/2013-आईपी.—भारत सरकार ने दिनांक 01 अप्रैल, 2015 से पात्र निर्यातकों के लिए पूर्व एवं पश्चात् नौवहन रुपया निर्यात क्रेडिट के संबंध में दिनांक 18 नवम्बर, 2015 को ब्याज समकरण स्कीम की घोषणा की है। सरकार के निर्णय के अधार पर, भारतीय रिजर्व बैंक ने परिपत्र सं. आरबीआई/2015-16/259 डीबीआरडीआईआर.बीसी सं.62/04.02.001/2015-16 दिनांक 4 दिसम्बर, 2015 के तहत इस स्कीम के प्रचालनात्मक निर्देश जारी किए थे। सुसंगत प्रणाली (आईटीसी-एचएस) कोड पर आधारित भारतीय व्यापार स्पष्टीकरण के चार (4) अंक के स्तर तक छ: (6) प्रशुल्क लाइनों को भी आरबीआई परिपत्र के अनुबंध क के क्रम सं. 277, 330 से 334 पर इस स्कीम के अन्तर्गत शामिल किया गया है।

2. विदेश व्यापार महानिदेशालय ने अपने का.ज्ञा.सं. 01/94/180/127/एएम 16/पीसी-4/746 दिनांक 3 फरवरी, 2016 के तहत सूचित किया है कि वाणिज्यि विभाग ने उक्त स्कीम के अन्तर्गत पात्रता के लिए दूरसंचार उत्पादों हेतु न्यूनतम मूल्य संवर्धन मानदंड अधिरोपित करने के लिए दूरसंचार विभाग के सुझाव को स्वीकार कर लिया था और इसे अधिसूचना के पैरा 2(ज) में स्कीम में समाविष्ट कर दिया था, जिसमें उल्लेख है कि दूरसंचार विभाग द्वारा दिशा-निर्देशों को अधिसूचित करने के बाद इस स्कीम के अन्तर्गत पात्र होने के लिए दूरसंचार उत्पाद निर्यात, दूरसंचार विभाग द्वारा यथा अधिसूचित न्यूनतम मूल्य संवर्धन के अध्यधीन होंगे।

3. दिशा-निर्देशों की इस अधिसूचना के पश्चात् घरेलू दूरसंचार विनिर्माता निर्यातक न्यूनतम मूल्य संवर्धन के अध्यधीन इस स्कीम के अन्तर्गत पात्र होंगे।

4. दूरसंचार विभाग एतद्द्वारा स्कीम के अन्तर्गत पात्रता के लिए दूरसंचार उत्पादों हेतु निम्नलिखित न्यूनतम मूल्य संवर्धन अर्हक मानदंड अधिसूचित करता है:

I. सम्पूर्ण उत्पाद (सभी वासित मुद्रित सर्किट बोर्ड अर्थात् पीसीबी सहित) पूर्णत: घटी कीमत (सीकेडी) स्तर [अर्थात् भारत में की गई पूर्ण इलेक्ट्रानिक विनिर्माण सेवा (ईएमएस)] पर भारत में निर्मित होने चाहिए।

II. दूरसंचार उत्पादों को सारणी 1 में प्रत्येक उत्पाद के सामने यथा उल्लिखित न्यूनतम मूल्य संवर्धन मानदंड को पूरा करना चाहिए। मूल्य संवर्धन संबंधी दावा स्व–प्रमाणीकरण पर आधारित होगा, जो निदेशकों द्वारा हस्ताक्षरित और लेखा-परीक्षक/चार्टर्ड एकाउंटेंट (सीए) द्वारा प्रति हस्ताक्षरित किया जाएगा।

III. स्व–प्रमाणीकरण के झूठे/गलत दावों के बारे में दूरसंचार विभाग को शिकायत की जाएगी।

Note No. #31

IV. इस स्कीम के प्रभाव की जांच करने के लिए कि क्या इससे उद्देश्य की पूर्ति हो गई है अथवा नहीं, 3 वर्ष की पूर्णता के पश्चात् दिशा-निर्देशों की समीक्षा की जाएगी और सारणी-1 के दूरसंचार उत्पादों के बारे में स्कीम के आगे विस्तार हेतु निर्णय लिया जाएगा।

सारणी 1

दूरसंचार उत्पादों के लिए न्यूनतम मूल्य संवर्धन मानदंड

क्र. सं.	आईटीसी (एचएस कोड) (8 अंक)	योग्यता मानदंड: निम्नलिखित सभी कार्रवाई/क्रियाकलाप पूर्ण किए जाने चाहिएं/मूल्य संवर्धन मानदंड सुझाव
1.	85171110	निर्यातित उत्पाद में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से प्रयुक्त विदेशी इनपुट का सीआईएफ (लागत बीमा एवं माल भाड़ा) मूल्य एफओबी (फ्री आन बोर्ड) मूल्य से 60% कम होना चाहिए।
2.	85171190	
3.	85171810	
4.	85171890	
5.	85176100	
6.	85176210	
7.	85176220	
8.	85176230	
9.	85176240	
10.	85176250	
11.	85176260	
12.	85176270	
13.	85176290	
14.	85176910	
15.	85176920	
16.	85176930	
17.	85176940	
18.		

Note No. #31

क्र. सं.	आईटीसी (एचएस कोड) (8 अंक)	योग्यता मानदंड: निम्नलिखित सभी कार्रवाई/क्रियाकलाप पूर्ण किए जाने चाहिएं/मूल्य संवर्धन मानदंड सुझाव
19.	85176950	
20.	85176960	
21.	85176970	
22.	85176990	
23.	85195000	
24.	85255040	
25.	85255090	
26.	85256011	
27.	85256012	
28.	85256013	
29.	85256019	
30.	85256091	
31.	85256092 85256099	
32.	85171210	निर्यातित उत्पाद में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से प्रयुक्त विदेशी इनपुट का सीआईएफ (लागत बीमा एवं माल भाड़ा) मूल्य एफओबी (फ्री आन बोर्ड) मूल्य से 80% कम होना चाहिए।
33.	85171290	
34.	85177010	
35.	85177090	

शशि रंजन कुमार, संयुक्त सचिव (दूरसंचार)